1.3.22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 व 2 की रजिस्ट्री रसीद पत्रावली में शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण की रजिस्ट्री कराये एक माह से अधिक समय हो गया है बार-बार आवाज दिलाने व बावजूद तामिल अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी नं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। उक्त विवादग्रस्त भूमि का विभाजन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद न बढ़े इसके लिये दावा का निर्णय तक अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना उचित है चूंकि हक हकूक के संबंध में निर्णय तो दावा की विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के दावा का निर्णय होने तक पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम धनावता पटवार हल्का इन्द्रपुरा के भूमि खसरा नम्बर 564, 565, 585, 586, 587, 600, 601 कुल किता 7 कुल रकबा 4.15 है. में आवेदक के हिस्सा तक मौके एवं [illegible] रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल [illegible] से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली [illegible] साथ संलग्न रहे।

(हस्ताक्षर)
01.3.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:21:46 IST
Reason: SelfAttested